न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या–310/2018
आर.सी.एम.एस. नं. 2018/00427

मु0 परमेश्वरी धर्मपत्नी श्री ठाकरराम (फौत)

1/1–केसराराम
1/2–बृजलाल
1/3–जगदीश
1/4–गजानन्द
1/5–सत्यनारायण
1/6–पालाराम

पुत्रगण स्व0 श्री ठाकरराम (माता स्व0 मु0 परमेश्वरीदेवी) जाति छीम्पा निवासीगण बड़ोपल तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

1/7–कलावती (पुत्री स्व0 श्री ठाकरराम व माता स्व0 मु0 परमेश्वरीदेवी) धर्मपत्नी श्री शंकरलाल जाति छीम्पा निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/8–सुमित्रा (पुत्री स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम) धर्मपत्नी श्री रामकुमार जाति छीम्पा निवासी चक 5 पीएसडी रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

1/9–सुशीला (पुत्री स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम) धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश जाति छीम्पा निवासी भाखंरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

1/10–मूर्ति (पुत्री स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम) धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार जाति छीम्पा निवासी चानणवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।

1/11–अन्जू (पुत्री स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम) धर्मपत्नी श्री रामेश्वरलाल जाति छीम्पा निवासी चक 12 डीबीएल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/12–इन्दूबाला (पुत्री स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम) धर्मपत्नी श्री दलवारा सिंह जाति छीम्पा निवासी चक 12 डीबीएल तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/13–ममता (पुत्री स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम) धर्मपत्नी श्री प्रेमकुमार जाति छीम्पा निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

1/14–लालबहादुर
1/15–जय कुमार

पुत्रगण स्व0 श्री चेतराम पुत्र स्व0 श्री ठाकरराम जाति छीम्पा निवासीगण बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता ––अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता ––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2017
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा,
प्रकरण संख्या 85/2017
शीर्षक "राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीलीबंगा बनाम परमेश्वरीदेवी"

निर्णय दिनांक :– 3.3.2023

1. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2017 अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम बडोपल बारानी के खसरा नंबर 927 की 6.325 हैक्टेयर भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2000 को निरस्त किया गया। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 21 राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत इन कथनों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम बडोपल बारानी के खसरा नंबर 927 में सिर्फ 2.530 हैक्टेयर भूमि ही आराजीराज थी व शेष रकबा किसी भी सरकारी खाता में दर्ज नहीं है तथा आवंटन अधिकारी ने बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नंबर 1830 दिनांक 05.09.2000 के अन्तर्गत खसरा नंबर 927 की 6.325 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट को गलत आवंटित की है तथा इस कारण यह आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2000 को निरस्त कर दिया। अपीलाण्ट ने इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि ग्राम बडोपल बारानी में खसरा नंबर 927 में सिर्फ 2.530 हैक्टेयर भूमि ही आराजीराज दर्ज नहीं थी अपितु इस खसरा में अन्य भूमि भी थी जिसमें 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के पति ठाकरराम पुत्र श्री हरीराम जाति छीम्पा निवासी बडोपल को सम्वत् 2032 में अस्थाई काश्त पर आवंटन की गई थी तथा यह अस्थाई काश्त का पट्टा समय–समय पर नवीनीकरण किया जाता रहा। यदि खसरा नंबर 927 में सिर्फ 10 बीघा भूमि ही आराजीराज दर्ज होती तो अपीलाण्ट के पति

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

ठाकरराम पुत्र श्री हरीराम को इस खसरा नंबर 927 की 25 बीघा भूमि टी.सी. पर आवंटित नहीं होती। अपीलाण्ट ने आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2000 की प्रति प्रस्तुत करते हुए यह तथ्य प्रकट किया कि प्रश्नगत 25 बीघा भूमि जो खसरा नंबर 927 में पैमूद है, आराजीराज थी तथा आवंटन नियम 1975 के नियम 7 के अनुसार अपीलाण्ट के पति को टी.सी. लीज होल्डर की सर्वोपरि प्राथमिकता होने के कारण आवंटन अधिकारी ने बाद जांच यह 25 बीघा भूमि अपीलाण्ट को पुख्ता आवंटित की है तथा यह आवंटन किये जाने से पूर्व रेस्पोडेंट की स्पष्ट व अभिशंसात्मक रिपोर्ट आने के बाद ही यह भूमि सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पुख्ता आंवटित की गई है। अपीलाण्ट ने कोई तथ्य नहीं छुपाया है व ना ही मिथ्या व्यपदेशन किया है। इस कारण नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार यह आवंटन किसी भी दृष्टि से विधि विपरीत नहीं है। अपीलाण्ट ने यह कथन भी किया है कि रेस्पोडेंट ने शेष 15 बीघा भूमि की स्थिति के बारे में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा रेस्पोडेंट के निराधार एवं अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का पुख्ता आवंटन निरस्त किया है। अपीलाण्ट द्वारा समस्त किश्ते जमा करवाई जाने पर उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त हो चुके है तथा अपीलाण्ट ने किसी भी प्रकार से तथ्य को छुपाते हुए अथवा मिथ्या व्यपदेशन कर प्रश्नगत भूमि का आवंटन नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में नियम 21 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। यह आवंटन स्वयं रेस्पोडेंट की सिफारिश एवं रिपोर्ट पर टी.सी. लीज होल्डर को हुआ है। यदि रेस्पोडेंट इस आदेश से व्यथित हो तो भी उसे राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 30 के अन्तर्गत अपील का उपचार था तथा नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार मियाद 30 दिवस ही थी। इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2000 अंतिम हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त करने से पूर्व आवंटन पत्रावली को भी तलब नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जांच नहीं की कि खसरा नंबर 927 में 10 बीघा भूमि ही थी या इससे अधिक भूमि थी जबकि खसरा नंबर 927 एक बहुत बड़ा खसरा था। अपील में उक्त आधार लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2017 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को तलब किया गया। अपीलाण्ट के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ मूल आवंटन पत्रावली संख्या 569/98 को भी तलब किया गया। दौराने अपील अपीलाण्ट की मृत्यु होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पर उसके वारिसान को अपीलाण्ट संख्या 1/1 से 1/14 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए यह कथन किये कि खसरा नंबर 927 मात्र 2.530 हैक्टेयर भूमि का ही नहीं था बल्कि उक्त खसरा बहुत बड़ा था जिसमें 243 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जो विभिन्न काश्तकारों को टी.सी. लीज के रूप में आवंटित थी तथा शेष 10 बीघा भूमि ही आराजीराज रही। खसरा नंबर 927 की इसी 243 बीघा 3 बिस्वा भूमि में अपीलाण्ट के पति ठाकरराम पुत्र श्री हीराराम को 25 बीघा भूमि टी.सी. पर आवंटित हुई थी। अपीलाण्ट ने अतिरिक्त साक्ष्य में सभी अस्थाई काश्तकारों को आवंटित हुई भूमि की जमाबंदी व ढाल बाच्छ की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित होने व अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपील प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व ही होने से दिनांक 04.12.2017 से दिनांक 27.08.2018 की अवधि को माफ कर यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 29.06.2017 को जारी नोटिस अपीलाण्ट पर तामील नहीं हुआ है बल्कि चस्पांदगी की कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो दस्तावेज प्रस्तुत हुये है, वे रेस्पोडेंट की ओर से ही प्रस्तुत हुये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजों को अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया तथा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर यह अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने खसरा नंबर 927 की कुल 243 बीघा 3 बिस्वा भूमि होने के संबंध में राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार उक्त भूमि में से 233 बीघा 3 बिस्वा भूमि विभिन्न काश्तकारों को अस्थाई पट्टा पर आवंटित होने से उन्हें पुख्ता आवंटन हुई है व शेष 10 बीघा भूमि आराजीराज रही है। अपील में अंकित आधारों के संबंध में अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत ये दस्तावेज सुसंगत है तथा इन

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की अनुमति दी जाती है। गुणावगुणों पर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो में दर्ज तथ्यों की पुनरावृति करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बडोपल के खसरा नंबर 927 में सम्वत् 2050 की जमाबंदी में मात्र 2.530 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज होने व अपीलाण्ट को खसरा नंबर 927 में 6.325 हैक्टेयर भूमि आवंटन होने के संबंध में राजस्व अभिलेख की पूर्ण जांच नहीं की है तथा ना ही रेस्पोडेंट की ओर से खसरा नंबर 927 की कुल भूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी अभिलेखीय साक्ष्य के यह मान लिया कि खसरा नंबर 927 में मात्र 10 बीघा भूमि ही थी जबकि खसरा नंबर 927 में कुल 243 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी व इस भूमि में से 25 बीघा भूमि अपीलाण्ट के पति को अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी व नियम 1975 के नियम 7 के अनुसार यह भूमि अपीलाण्ट को आदेश दिनांक 05.09.2000 के अन्तर्गत पुख्ता आवंटित हुई। अपीलाण्ट ने नामान्तरण सख्या 181 की चित्रप्रति प्रस्तुत की है जिसमें भी यह 25 बीघा भूमि आराजीराज टी.सी. ठाकरराम पुत्र हरीराम छीम्पा के नाम दर्ज थी व आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2000 के आधार पर अपीलाण्ट के नाम इंतकाल दर्ज हुआ व इस भूमि की समस्त किश्ते दाखिल करने पर दिनांक 05.07.2011 को सनद खातेदारी भी जारी हो चुकी। अपीलाण्ट ने कोई तथ्य नहीं छुपाया है तथा आवंटन पत्रावली संख्या 569/98 में भी तहसील की रिपोर्ट के अनुसार यह 25 बीघा भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में होने व उसे आवंटन का पात्र माना गया है। अतः यह आवंटन आदेश विधिसम्मत था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2017 के अन्तर्गत खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायदृष्टान्त आर.आर.टी. 2018–19 (सप्ली) पृष्ठ 350, आर.आर.टी. 2019(2) पृष्ठ 1241 व आर.आर.टी. 2016(2) पृष्ठ 1412 प्रस्तुत किये तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सही तौर पर प्रस्तुत किया गया था तथा आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने यह आवंटन सही तौर पर खारिज किया है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक विवेचन व विश्लेषण किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

7. मूल आवंटन पत्रावली संख्या 569/98 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि अपने पति ठाकरराम को अस्थाई पट्टा पर आवंटित होने के संबंध में अस्थाई पट्टा की प्रति प्रस्तुत की है तथा रिपोर्ट पटवारी के अनुसार इस पट्टा का नवीनीकरण होता आया है व इस भूमि पर अपीलाण्ट का लगातार कब्जा काश्त होने से उसे इस 25 बीघा भूमि का आवंटन का पात्र माना गया है। राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 7 के अनुसार टी.सी. लीज होल्डर को पुख्ता आवंटन किये जाने की सर्वोच्च वरियता है तथा इस वरियता के अनुसार मूल टी.सी. लीज होल्डर ठाकरराम की पत्नी के रूप में अपीलाण्ट को यह भूमि दिनांक 05.09.2000 को स्थाई तौर पर आवंटित हुई है व आवंटन होने के उपरान्त समस्त किश्ते जमा होने पर उसके पक्ष में दिनांक 05.07.2011 को सनद खातेदारी प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह पुख्ता आवंटन तथ्य छुपाकर या मिथ्या व्यपदेशन कर हासिल किये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह आधार लिया है कि खसरा नंबर 927 में सम्वत् 2050 की जमाबंदी अनुसार 2.530 हैक्टेयर भूमि ही होने के बावजूद अपीलाण्ट को 6.325 हैक्टेयर भूमि आवंटन कैसे हो गई जबकि अपीलाण्ट की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य में प्रस्तुत जमाबंदियों के अनुसार खसरा नंबर 927 में 243 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी व इस भूमि में से अपीलाण्ट के पति ठाकरराम सहित अन्य काश्तकारों को कुल 233 बीघा 3 बिस्वा भूमि अस्थाई पट्टा पर आवंटित थी जो बाद में खातेदारी हुई व इसी क्रम में अपीलाण्ट के पति श्री ठाकरराम को भी 25 बीघा भूमि सर्वप्रथम टी. सी. पर आवंटित थी जो कालान्तर में अपीलाण्ट को स्थाई रूप से दिनांक 05.09. 2000 को आवंटित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह आवंटन निरस्त करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नहीं की कि खसरा नंबर 927 कुल कितने बीघा का था व आवंटन से शेष रह गई 10 बीघा भूमि आराजीराज को आधार मानकर अपीलाण्ट का वैद्य रूप से जारी स्थाई आवंटन आदेश दिनांक 05.09.2000 को एक पक्षीय रूप से निरस्त किया है तथा अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत अपीलाण्ट की तलबी हुये बिना राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किया जाना मानकर व जबावदेही प्रस्तुत नहीं किये जाने का आधार लेकर यह आवंटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपीलाण्ट के आवंटन के संबंध में जांच की हो। इस प्रकार उक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 04.12.2017 अवैध व अनुचित है जो हस्तक्षेप योग्य है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार होने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2017 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.3.23 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

3/3/23

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner